10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-138-I/14

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 9-1-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
12.30 p.m

कलावती पत्नी रामकिशन जाति साहू
निवासी– ग्राम झिरनिया तहसील
गुलाबगंज जिला विदिशा म.प्र.
.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश तहसीलदार गुलाबगंज जिला विदिशा के राजस्व प्रकरण क्र. 62/अ 68/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 15.10.13

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

1. यहकि, तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.2.13 को कारण बताओं नोटिस दिया कि आपके द्वारा ग्राम बेरखेडी की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 87 रकवा 0.273, में से 0.052 हैक्टर पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया गया जो कि म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 248–1 संशोधित दिनांक 30 दिसम्बर 2011 के तहत भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत तक अर्थदण्ड कर सिविल जैल की कार्यवाही की जा सकती है। अतः आप अपना जबाव स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जावेगा।

2. यहकि, 21.3.2013 को आवेदक के अधिवक्ता द्वारा विधिवत् जबाव प्रस्तुत किया गया आवेदक के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा गया उसे समय व समुचित अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने का नहीं दिया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 138/I/14 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, विदिशा को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	